

कार्यालय
पत्र संख्या-प-2166/एफएस-15
सेवा में,

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

दिनांक: जनवरी 19, 2018

अधिशासी अभियन्ता (मा0सेल),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ।

विषय-

खसरासं0-161,162,163,164,169,165(पार्ट),167(पार्ट)एण्ड 171(पार्ट) ग्राम-उत्तरधौना फैंजाबाद रोड, चिनहट जिला-लखनऊ में मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित यु. हाउसिंग भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक के पत्र दिनांक-30.12.17 व आप अपने पत्र दिनांक-22.11.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जो उपरोक्त विषयक है। प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के प्रस्तुत मानचित्र में प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण एनबीसी-2016 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर से कराया गया जिसकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

31394.53 वर्गमीटर।

रेजीडेन्सीयल

• भूतल का कर्वड एरिया-

5448.14 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कर्वड एरिया-

5020.38 वर्गमीटर।

• द्वितीय तल से 13वें तल का कर्वड एरिया-

5067.12 वर्गमीटर।

• 14वें तल का कर्वड एरिया-

4653.48 वर्गमीटर।

• बेसमेन्ट का कर्वड एरिया-

21548.28 वर्गमीटर।

व्यवसायिक/फैसिलिटीज-

• भूतल का कर्वड एरिया-

626.44 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कर्वड एरिया-

655.74 वर्गमीटर।

2-भवन की अधिकतम ऊँचाई-44.850 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागतव्यवस्था-

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 12.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई कमशः-06.00 मीटर व 06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक-भवन का सेटबैक निम्नवत है-

• अग्रभाग- 13.00 मीटर।

• पृष्ठभाग- 13.00 मीटर।


• पार्श्व भाग प्रथम- 13.00 मीटर।

• पार्श्व भाग द्वितीय- 13.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक एनबीसी-2016 के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट का कुछ बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

- निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो-दो स्टेयर प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का तथा व्यासार्थिक ब्लाक में दो स्टेयर के प्रत्येक की चौड़ाई-02.00 मीटर व 01.20 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी पलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।
- 5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्राविधानित है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।
- 1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक 200000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास में पम्प 1620 एलपीएम क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प 1620 एलपीएम क्षमता तथा एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।
- 3-होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।
- 4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुरूप स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 5-यार्ड हाईड्रैन्ट-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाई ड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक टावर में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।
- 8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 9-टैरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 10-टैरिस पम्प-भवन के प्रत्येक टावर/ब्लाक पर टैरिस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिटसाइनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 14-पी0ए0 सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 15-भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु एक फायर आफिसर के नेतृत्व में प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा सं0-161,162,163,164,169,165(पार्ट), 167(पार्ट) एण्ड 171(पार्ट) ग्राम-उत्तरधौना,फैजाबाद रोड, चिनहट जिला-लखनऊ में मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


19.8.2019
(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।